



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 425 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 15.03.2024

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालय की मान्यता अवधि एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	विस्तारित मान्यता अवधि	उद्देश्य/रोगों की चिकित्सा का विवरण	अभियुक्ति
1	महन्त इन्ड्रेश हॉस्पिटल, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
2	डेन्टल प्लस क्लीनिक, नागोस्वती आर्युवेदिक सेन्टर परिसर, नजदीक-रिस्पना पुल, आई०एस०बी०टी० रोड़, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	दन्त रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
3	एम०एस० त्यागी मैमोरियल फिजियोथैरेपी सेन्टर, हरिद्वार रोड़, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	फिजियोथैरेपी	सी०जी०एच०एस० दरों पर
4	कनिष्क सर्जिकल एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हरिद्वार रोड़, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
5	आस्था हॉस्पिटल, 2/1, बल्लूपुर चौक, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
6	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड हॉर्ट इन्स्टीट्यूट, प्लाट न० एफ-01, सिडकुल, हरिद्वार	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु (केवल हृदय रोगों हेतु कैश-लैस सुविधा)	सी०जी०एच०एस० दरों पर
7	आरोग्य धाम, द हैल्थ सिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, निकट-दून अस्पताल, 6 न्यू रोड़, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
8	निर्मल आश्रम आई इन्स्टीट्यूट, निकट-नेपाली फार्म, खैरी कलां, श्यामपुर, ऋषिकेश	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	नेत्र रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
9	विनय विशाल हैल्थ केयर, प्रा० लि०, नियर-बी०एस०एम० चौक, रूड़की, उत्तराखण्ड	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर
10	आरोग्यम हॉस्पिटल, एनएच-73, ग्राम-करोन्धी, भगवानपुर, रूड़की	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी०जी०एच०एस० दरों पर

क्रमशः.....2/-

11	श्री स्वामी भूमानन्द हॉस्पिटल, रानीपुर झाल, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	सभी रोगों हेतु	सी0जी0एच0एस0 दरों पर
12	नवीन आई एवं चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, मलवीय चौक, रुड़की	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	नेत्र एवं बाल रोगों हेतु	सी0जी0एच0एस0 दरों पर
13	द आई क्लिनिक, 3ए, चकराता रोड, नजदीक-दून पैरामेडिकल कॉलेज, देहरादून	31.03.2024	01.04.2024 से 31.03.2025 तक	नेत्र रोगों हेतु	सी0जी0एच0एस0 दरों पर

प्रतिबन्ध यह होगा कि :-

1. उक्त सभी चिकित्सालय पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को सी0जी0एच0एस0 दरों एवं पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।
2. कारपोरेशन आदेश संख्या 1281/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5 दिनांक 20.09.2010 के बिन्दु-3.6 के अनुपालन में कोई भी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान मान्यता अवधि में कारपोरेशन की अनुमति के बिना अपनी चिकित्सा दरों में वृद्धि नहीं करेगा। इस प्रकार की कार्यवाही को मान्यता की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा तथा चिकित्सालय की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
3. उक्त सभी चिकित्सालय चिकित्सा बीजक में सम्बन्धित चिकित्सा प्रक्रियाओं (Procedures) के कोड का भी स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 425/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0-5 तददिनांक :

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा0ए0ऑ0-निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/ पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित चिकित्सालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)